न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, सुलतानपुर।

पीठासीन राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(J.O. Code- UP2397)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-123/2004

UPST010000682004

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**।

बनाम

1. प्रदीप मिश्रा उम्र 63 वर्ष सुत सत्यनरायन मिश्र।
2. मार्कन्डेश्वर शुक्ल उम्र 66 वर्ष सुत राजाराम शुक्ला
3. उमाशंकर पाण्डेय **(मृतक दौरान मुकदमा)**
4. भोला पाण्डेय **(बाल अपचारी)**

निवासीगण ग्राम रमईपुर, थाना गौरीगंज, जिला अमेठी।

.......................**अभियुक्तगण**।

मु0 अ0 सं0-489/1998
धारा-323/34,325/34,308/34,506(2) भा०दं०सं०
व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी०एक्ट
थाना-गौरीगंज, जिला-अमेठी।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक	1. श्री गोरखनाथ शुक्ला
विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष	1. श्री अमित पाण्डे

1.	एफ०आई०आर० दर्ज करने की तिथि	08.12.1998
2.	आरोप पत्र की तिथि	17.01.1999
3.	आरोप विरचित करने की तिथि	24.09.2005
4.	साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	17.07.2008
5.	निर्णय की तिथि	06.06.2026

निर्णय

1. अभियुक्तगण प्रदीप मिश्रा, मार्कण्डेय शुक्ला, उमाशंकर पाण्डेय व भोला पाण्डेय का विचारण न्यायालय द्वारा थाना-गौरीगंज, जिला-अमेठी की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-489/1998, अन्तर्गत धारा-323,325,308,504,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर किया गया।

2. संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है कि प्रार्थी उदयराज के मामा बाबूलाल व रामबोध जो ग्राम रमईपुर में रहते हैं ट्रैक्टर से अपना खेत जुता रहे थे कि उन्हीं के गांव के उमाशंकर सुत बैजनाथ ,भोला सुत उमाशंकर पाण्डेय, मार्कन्डेश्वर सुत राजाराम शुक्ल ,प्रदीप कुमार सुत सत्यनरायन मिश्रा ने जाकर मेरे मामा को खेत जोतने से मना कर दिया। मेरे मामा ने इन लोगों की बात न मानकर खेत की जुताई करवाने लगे कि इतने में ये सभी लोग हाथ में ली हुई लाठी से गाली गुप्ता देते हुए मेरे मामा को मारने लगे । मेरे मामा बाबूलाल कोरी व रामबोध कोरी को मारते देखकर रामलाल सुत बदल व श्रीमती कैलाशा पत्नी रामलाल, श्रीमती लीलावती पत्नी बाबूलाल तथा शिवराम सुत मंगरू छुड़ाने के लिए दौड़े तो इन लोगों ने लाठियों से मारकर गम्भीर चोट पहुचायीं। मौके पर मौजूद देवनरायन सुत रामदीन, तुलसीराम सुत रामफेर ने बीच बचाव कराया कि शोर सुनकर गांव के लोग इकटठा हुए कि मै भी मौके पर पहुंच गया कि गांव वालों के आ जाने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मौके पर रामबोध, श्रीमती कैलाशा गम्भीर चोट आ जाने के कारण बिहोश हो गयी थी। चारपाई पर लादकर सरकारी अस्पताल गौरीगंज में और सभी चोटहिलों के साथ भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है तथा रामबोध व श्रीमती कैलाशा को अभी तक होश नही आयी है।"

3. वादी मुकदमा उदयराज कोरी की तहरीर के आधार पर थाना गौरीगंज जनपद सुलतानपुर में मुकदमा अपराध संख्या-489/1998, अन्तर्गत धारा-323,504,506,308 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत दिनॉक-08.12.1998 को समय 20.40 बजे पंजीकृत किया गया, जिसका विवरण जनरल डायरी में अंकित किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटनास्थल का निरीक्षण तैयार करके नक्शा-नजरी तैयार की गयी। विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान एकत्रित करने के पश्चात अभियुक्तगण उमाशंकर, भोला पाण्डेय, तीरथ उर्फ प्रदीप कुमार मिश्र व मार्कन्डेश्वर शुक्ल सुत राजाराम के विरूद्ध थाना-गौरीगंज जिला-सुलतानपुर की

पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-489/1998 धारा-323, 325, 504, 506, 308 भा०दं०सं० व धारा- 3(1) (10) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा अपनी जमानतें करायीं। प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उमाशंकर पाण्डेय, भोला पाण्डेय, तीरथ उर्फ प्रदीप कुमार मिश्र व मार्कन्डेश्वर शुक्ल के विरूद्ध धारा- 323/34,325/34,308/34,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की। अभियुक्त उमाशंकर पाण्डेय की दौरान मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध मुकदमा उपशमित किया गया तथा अभियुक्त भोला पाण्डेय किशोर अपचारी घोषित हो जाने के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गयी।

5. अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया:-

क्रम सं०	साक्षी संख्या	साक्षी नाम
1.	पी०डब्लू०-1	बाबूलाल
2.	पी०डब्लू०-2	रामबोध
3.	पी०डब्लू०-3	तुलसीराम
4.	पी०डब्लू०-4	देवनारायण
5.	पी०डब्लू०-5	लीलावती
6.	पी०डब्लू०-6	उदयराज
7.	पी०डब्लू०-7	डा० सुबोध
8.	पी०डब्लू०-8	सी०ओ०/विवेचक कैलाश सिंह

6. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्रम सं०	प्रदर्श	प्रपत्र	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1.	प्रदर्श क-1	तहरीर	उदयराज
2.	प्रदर्श क-2	एक्सरे रिपोर्ट (शिवराम)	डा० सुबोध
3.	प्रदर्श क-3	एक्सरे रिपोर्ट	डा० सुबोध

		(रामबोध)	
4.	प्रदर्श क-4	एक्सरे रिपोर्ट (बाबूलाल)	डा० सुबोध
5.	प्रदर्श क-5	एक्सरे रिपोर्ट (कैलाशा)	डा० सुबोध
6.	प्रदर्श क-6	एक्सरे रिपोर्ट (रामलाल)	डा० सुबोध
7.	प्रदर्श क-7	नक्शा-नजरी	कैलाश सिंह
8.	प्रदर्श क-8	आरोप पत्र	कैलाश सिंह
9.	प्रदर्श क-9	चिक एफ०आई०आर०	कैलाश सिंह
10.	प्रदर्श क-10	जी०डी०	कैलाश सिंह

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-24.03.2026 को अंकित की गयी। अभियुक्तगण द्वारा घटना को झूठा होना, साक्षीगण पी0 डब्लू01 लगायत 5 द्वारा झूठा बयान दिया जाना ,औपचारिक साक्षी पी0 डब्लू07 डा0 सुबोध द्वारा मेडिकल प्रपत्रों के सम्बन्ध में कुछ नही कहना तथा औपचारिक साक्षी पी0 डब्लू08 सी0 ओ 0/विवेचक द्वारा साबित किये गये पुलिस प्रपत्रों के सम्बन्ध में झूठे तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जाना, मुकदमा गांव की पार्टीबन्दी के कारण चलना बताते हुए प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने तथा अतिरिक्त कथन में अपने आप को निर्दोष होने का कथन किया।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित उनके विद्वान अधिवक्ता की विस्तार से बहस सुनी गयी तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

9. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उनके द्वारा वादी मुकदमा जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है व उसके परिवार वाले शिवराम, रामलाल, बाबूलाल व रामबोध को जातिसूचक भद्दी-भद्दी गाली व जान से मार डालने की धमकी देते हुए सामान्य आशय की पूर्ति में गम्भीर उपहति कारित की गयी की गयी।

10. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को बिस्तार से सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11. यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करे, जिसके बाबत् अभियोजन द्वारा

निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है। विवेचनात्मक विश्लेषण हेतु मुख्य परीक्षा में निम्नवत् बयान प्रस्तुत किया हैः-

12. **साक्षी पी0 डब्लू0-1 बाबूलाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "मैं अनुसूचित जाति का कोरी हूं। मुल्जिमान उमाशंकर, भोलानाथ, प्रदीप कुमार, मारकेन्डश्वर जाति के पंडित हैं। मैं तीन भाई रामराज, बाबूलाल, स्वयं खुद एवं रामबोध हूं। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व जाड़े के माह की घटना है। 4 बजे शाम का वाकिया है। मैं अपना खेत ट्रैक्टर से जुतवा रहा था। मेरे साथ मेरे भाई रामबोध भी थे। यह खेत नीलामी में मेरी भाभी शिवकुमारी पत्नी रामराज को घटना के 3-4 साल पहले मिला था। नीलामी के पहले खेत मुल्जिम उमाशंकर का था। जब मैं ट्रैक्टर से खेत जुतवा रहा था तब मुल्जिमान उपरोक्त आये और मुझे खेत जुतवाने से मना किया। मैने कहा कि मेरा खेत है, मै जोतुंगा बोउंगा। मार्कन्डेश्वर ने कहा कि साले चमार मादरचोद तुम्हे दो साल से रोक रहा था कैसे जोतते बोते हो। उसके बाद सभी लोग मुझे लाठी से मारना शुरू कर दिये। मुझे व रामबोध को मारना शुरू कर दिया। मारते समय मेरे पिता रामलाल,माता कैलाशा, पत्नी लीलावती, भान्जा उदयराज आ गये तथा गांव के लोग बाद में आये। मुल्जिमानों ने मेरे घर वालों को भी मारा। लाठी डण्डा से मारा। मुल्जिमानों के मारने से मुझ रामबोध, रामलाल माता पत्नी को चोटें आयी थीं। मुझे सिर में दाहिने हाथ तथा बायें जांघ में दाहिने हाथ की उंगली में दाहिने कन्धे में तथा शरीर में चोट आयी थी। मुल्जिमानों से जान से मारने की धमकी दिया था। रामबोध व कैलाशा को ज्यादा चोटें आयी थीं। हम लोगों की चोटों का डाक्टरी मुआइना गौरीगंज सरकारी अस्पताल में हुआ था। रामबोध का इलाज लखनऊ से भी हुआ था। घटना की रपट मेरे भान्जे उदयराज ने किया था। इनका घर मेरे गांव के करीब ही पड़ता है। यह मौके पर भी आ गये थे। इनको मैने घटना की पूरी बात बताया था। मेरा एक्स-रे हाथ का हुआ था। पुलिस वाले घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान लिये थे, जिस खेत में यह मारपीट हुई थी।वह मेरे घर से 4-5 बीघा की दूरी पर होगा। बीच में कोई घर नही पड़ता है।"

13. **साक्षी पी0 डब्लू02 रामबोध** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "मैं अनुसूचित जाति में कोरी हूं। अभियुक्तगण उमाशंकर, भोला पाण्डेय, प्रदीप मिश्रा, मार्कन्डेश्वर शुक्ला गैर अनुसचित जाति के हैं। मेरे गांव के हैं। घटना हुए 25-26 साल हो गया। घटना दिनांक 08.12.98 की है। घटना शाम 4 बजे की है। मैं व मेरे भाई बाबूलाल नीलामी लिया हुआ खेत जो पहले उमाशंकर का था ट्रैक्टर से जुतवा रहा

था। खेत को हम लो दो साल पहले से पहले से जोत बो रहे थे। खेत की नीलामी मेरी भाभी शिवकुमारी के नाम से घटना के 3-4 साल पहले से लिया गया था। मेरे तीनों भाइयो का परिवार सम्मिलित था। सम्मिलित खेती होती है। मेरी भाभी शिवकुमारी व भाई रामराज बसिलसिले नौकरी पटना में रहते थे। जब हम लोग ट्रैक्टर से खेत जुतवा रहे थे । मुल्जिमान उमाशंकर उनके लड़के भोला,प्रदीप, मार्कन्डेश्वर ने खेत जोतने से मना किया। मारकन्डेश्वर ने ललकार कर कहा कि मारो चमार साले मादरचोद को तुम्हे दो साल से रोक रहा हूं कैसे जोतते बोते हो। फिर चारों लोग लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। मैं गिर कर बेहोश हो गयां उस घटना में बाबूलाल, मेरे पिता रामलाल, मॉ कैलाशा, भाभी लीलावती तथा मेरे साले शिवराम को भी चोटें आयीं थी। मेरे भान्जे उदयराज ने घटना के बाबत जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाया था। मेरा डाक्टरी मुआइना गौरीगंज में हुआ था। एक्स-रे सुलतानपुर में हुआ था और मेरा इलाज मेडिकल कालेज लखनऊ में हुआ था।घटना के बाबत सी0 ओ 0 साहब ने मुझसे पूछताछ किया था। खेत मेरे घर से 50 मीटर दक्षिण पर है।अभियुक्त उमाशंकर की मृत्यु हो गयी है।''

14. **<u>साक्षी पी0 डब्लू03 तुलसीराम</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि ''मैं वादी मुकदमा उदयराज कोरी सुत श्रीराम निवासी पलिया को नही जानता हूं। मैं बाबूलाल सुत रामलाल को जानता हूं। मेरे गांव रमईपुर के हैं। बाबूलाल व रामबोध आज से अरसा 25-26 साल पहले ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। लगभग चार बजे दिन का समय था। बाबूलाल के गांव के व मेरे गांव के उमाशंकर,भोला,मार्कण्डेश्वर ,प्रदीप कुमार हैं। प्रदीप को तीरथ कहते हैं। जमीन किसकी थी बैनामा किसका था मै नही जानता। खेत बाबूलाल नीलामी में लिये थे। मै नही जानता खेत बाबूलाल घटना से पहले से जोतते थे मै नही जानता हूं। खेत जोतते वक्त के झगड़ें में उमाशंकर व 3-4 अज्ञात लोग बाबूलाल व उसके परिवार से झगड़ रहे थे। उसमें मार्कण्डेश्वर व प्रदीप उर्फ तीरथ को मैने मारते पीटते मैने नही देखा। घटना के समय प्रदीप, मार्कण्डेश्वर खेत के पास मौजूद नही थे। उमाशंकर के मारने पर रामबोध,बाबूलाल व उनके परिवार के लोग जैसे रामलाल, श्रीमती कैलाशा,श्रीमती लीलावती व शिवराम को मारे पीटे थे। चोटें आयी थीं। मेरे अलावा घटना के समय देवनरायन भी पहुंचे थे। जब मैं मौके पर पहुंचा मुल्जिमान के मारने पीटने से हुए चोटहिलों को लोगों के द्वारा लेकर अस्पताल चले गये थे। सी0 ओ 0 साहब मुझसे पूछताछ किये थे। सी0 ओ 0 साहब को मैने भोला, तीरथ उर्फ प्रदीप तथा मार्कण्डेश्वर के साथ उमाशंकर द्वारा मारते नही देखा है,बताया था। अगर

उन्होने मेरे बयान में मार्कण्डेश्वर व प्रदीप का नाम लिखा हो तो मैं उसकी वजह नही बता सकता हूं।”

15. **साक्षी पी0 डब्लू04 देवनारायण** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि “आज से लगभग 26 साल पहले बाबूलाल खेत नीलामी लिये थे, जिसे ट्रैक्टर से शाम 4 बजे के करीब जोतवा रहे थे। मैं उमाशंकर को जानता हूं, जाति के ब्राह्मण हैं। भोला उमाशंकर के लड़के हैं। मार्कण्डेश्वर व प्रदीप कमशः शुक्ला व मिश्रा हैं। बाबूलाल का भान्जा उदयराज है मैं नही जानता। बाबूलाल की बहन पलिया में ब्याही है मैं नही जानता। खेत की जुताई करते समय उमाशंकर मना करने आये थे, मना करते वक्त उनके साथ 3-4 अज्ञात थे जो बाबूलाल को लाठियों से मारने लगे। गाली गुप्ता देने लगे जिन्हें बचाने मैं व उनके घर के रामबोध, रामलजाल, रामलाल की पत्नी कैलाशा, बाबूलाल की पत्नी लीलावती तथा शिवराम बचाने दौड़े तो उन्हें भी मारे पीटे। मेरे अलावा तुलसीराम व गांव के तमाम लोगो ने घटना देखा तथा बीच बचाव किया। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते चले गये। मैने घटना के समय मुल्जिमान भोला, मार्कण्डेश्वर व प्रदीप कुमार को मारते पीटते व गाली गुप्ता देते नही देखा है।”

16. **साक्षी पी0 डब्लू05 लीलावती** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि “उदयराज को मैं जानती हूं। मेरे भैने हैं। बाबूलाल मेरे पति हैं, रामबोध मेरे देवर हैं। घटना के समय मेरी जेठानी शिवकुमारी नीलामी की जमीन नीलामी में लिया था,जिनकी जोताई मेरे पति बाबूलाल, देवर रामबोध ट्रैक्टर से कर रहे थे। घटना हुए लगभग 25-26 साल हो रहा है। 4.00 बजे का समय था। उसी जुताई करते समय उमाशंकर उनका लड़का भोला, प्रदीप, माल उर्फ मार्कन्डेश्वर शुक्ल आये खेत जोतने से मेरे पति व देवर से मना करते हुए कहे कि भोसड़ी वाले चमार साले बहुत बढ़ गये हो। आज इन सालों को मार दो। लाठी से मारने लगे मैं अपने पति व देवर के शोर पर मैं पहुंची तो मैं मौके पर पहुंची देखा कि बचाना चाहा तो मुझे मेरी सास कैलाशा, ससुर रामलाल व मेरे भाई शिवराम को भी लाठियों से मारकर गंभीर चोटें पहुंचायी। देवनरायन व तुलसीराम के बीच बचाव से तथा गॉव के तमाम लोग इकटठा हो गये, जान से मारने की धमकी देते चले गये। मेरी सास कैलाशा व देवर रामबोध को चारपाई पर लादकर अस्पताल लेकर गये। हम लोगों की चोटों का डाक्टरी मुआइना गौरीगंज में हुआ था। घटना के बारे में सी0 ओ0 साहब पूछताछ किये थे। मेरे शरीर के बायीं तरफ कन्धे व हाथ पर चोट लगी थी। उस समय मेरा संयुक्त परिवार था।”

17. **<u>साक्षी पी0 डब्लू06 उदयराज</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "मेरा ननिहाल ग्राम रमईपुर में है। बाबूलाल व रामबोध मेरे मामा हैं। घटना दिनांक 08.12.98 शाम 4.00 बजे की है। मैं अपने मामा बाबूलाल व रामबोध के बारे में जानकारी हुई कि उन्हें मारपीट में चोट लग गयी है। मैं उनके घर जा रहा था रास्ते में उन्हें लोग थाने में ले जा रहे थे, जिसे घटना के बारे में सारी बातें बताया। उनके बताने के अनुसार तहरीर एक आदमी से लिखाकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। शामिल मिसिल तहरीर 5क2 कागज सं0 को देखकर सुनकर पुष्टि किया, सुनकर कहा कि यही दरख्वास्त है। जो मैने थाने पर दिया था। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। बाबूलाल व रामबोध को काफी चोट लगी थी। रामबोध बेहोश थे। सिर पर चोट लगी थी। बाबूलाल होश में थे। बाबूलाल ने घटना के बारे में बताया था। बाबूलाल के बताने पर मैने तहरीर लिखवायी थी।"

18. **<u>साक्षी पी0 डब्लू07 डा0 सुबोध कुमार</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "दिनांक 09.12.1998 को जिला चिकित्सालय सुलतानपुर में रेडियोलाजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैने अपनी देखरेख में मजरूब शिवराम पुत्र मंगरू निवासी ग्राम पलिया थाना गौरीगंज जिला अमेठी के सिर पर एक्स-रे अपनी देखरेख में कराया था, जिसमें बायें पैराइटल एवं आक्सीपीटल की हडडी टूटी पायी गयी,जोड़ने का कोई प्रमाण मौजूद नही था, उसी दिन मैने मजरूब रामबोध पुत्र रामलाल ग्राम रमईपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के सिर का एक्स-रे अपनी देखरेख में करवाया था, जिसकी बायीं तरफ की पैराइटल हडडी टूटी पायी गयी। उसी दिन मैने मजरूब बाबूलाल पुत्र रामलाल पता ग्राम रमईपुर थाना गौरीगंज जिला अमेठी के दाहिने हाथ के पंजे का एक्स-रे करवाया था, जिसमे चौथी और पॉचवीं मेटाकार्पल हडडी टूटी पायी गयी, कोई कैलस नही पाया गया। उसी दिन मैने मजरूबा श्रीमती कैलाशा पता उपरोक्त के सिर का एक्स-रे करवाया था, जिसमें कोई हडडी टूटी नही पायी गयी। उसी दिन मजरूब रामलाल पुत्र बदल पता उपरोक्त के बायें अग्रबाहू का भी एक्स-रे करवाया था, जिसमें रेडियस हडडी टूटी पायी गयी, कोई कैलस नही बना था।

सभी मजरूबों का एक्स-रे रिपोर्ट, एक्स-रे प्लेट के आधार पर बनाया गया है, जो शामिल पत्रावली है। एक्स-रे प्लेट पर मजरूब के निशानी अंगूठा मौजूद हैं और मेरे द्वारा प्रमाणित है। एक्स-रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श-1 लगायत 5 डाला गया।

एक्स-रे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में शामिल मिसिल है, जिस पर मजरूबों के निशानी अंगूठा एवं पहचान चिन्ह अंकित हैं और मेरे द्वारा प्रमाणित हैं। जिन

पर क्रमशः प्रदर्श क-2 लगायत प्रदर्श क-6 डाला गया। मजरूबान की चोटों की टूटन 08.12.1998 की शाम 04.00 बजे की होना सम्भव है।

19. **<u>साक्षी पी0 डब्लू08 कैलाश सिंह (रिटायर्ड एस०पी०)</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "मै सी०ओ० गौरीगंज जनपद सुलतानपुर में नियुक्त था। दिनांक-08.12.1998 को मु०अ०सं०-489/98 की विवेचना ग्रहण किया। वादी उदयराज की तहरीर के आधार पर मुल्जिमान उमाशंकर, भोला, मार्कण्डेश्वर, प्रदीप के विरुद्ध धारा-323,504,506,308 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी०एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आवेदक के तहरीर के अनुसार उनके मामा बाबूलाल व रामबोध ट्रैक्टर से अपना खेत जुतवा रहे थे, इतने में मुल्जिमान उपरोक्त के द्वारा खेत जोतने से मना किया गया उनके न मानने पर भद्दी-भद्दी गालियां व जातिसूचक शब्दों की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर लाठी-डण्डे से मारने लगे। राजबोध व बाबूलाल को पीटते देखकर रामलाल, श्रीमती कैलाशा, श्रीमती लीलावती तथा शिवराम छुड़ाने के लिए दौड़े तो उन्हे भी मारा पीटा गया। रामबोध को मारा पीटा गया। रामबोध व श्रीमती कैलाशा को गंभीर चोट आयी। अन्य सभी चोटहिलों के साथ उन्हे भी सरकारी अस्पताल गौरीगंज में भर्ती कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में धारा-325 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। तमाम तफ्शीशी निरीक्षण घटनास्थल वादी के बयान व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-323,504,506,325,308 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक-17.01.1999 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्काश नजरी मेरे मातहत के द्वारा बनाया गया है जिसका मैने पुष्टि किया था। नक्शा-नजरी व आरोप पत्र पर क्रमशः प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 डाला गया। आरोप पत्र मेरे हस्ताक्षर में है। कां० शिवमूरत सिंह मेरे मातहती में नियुक्त थे जिन्होने इस मुकदमे की चिक व जी०डी० उनके लेख में होने की पुष्टि किया जिसपर क्रमशः प्रदर्श क-9 व प्रदर्श क-10 डाला गया।"

20. **<u>अभियोजन का तर्कः-</u>** अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना दिनांक-08.12.1998 समय 04.00 बजे की है। वादी उदयराज कोरी के मामा बाबूलाल व रामबोध निवासी रमईपुर ट्रैक्टर से अपना खेत जुतवा रहे थे। उन्ही के गांव के उमाशंकर, भोला, मार्कण्डेश्वर, राजाराम व प्रदीप कुमार (अभियुक्तगण) ने उनको खेत जोतने से मना किया। लेकिन बाबूलाल व रामबोध नही माने और खेत की जुताई करवाने लगे। इसी बात को लेकर सभी

अभियुक्तगण अपने हाथ मे लिए हुए लाठी से रामबोध व बाबूलाल को मारने लगे। जब वहां पर मौजूद रामलाल, श्रीमती कैलाशा, लीलावती तथा शिवराम बीच-बचाव करने दौड़े तो अभियुक्तगण ने इन लोगों को भी लाठियों से मारकर गम्भीर चोटें पहुचाई। मौके पर उपस्थित देवनरायन, तुलसीराम व गांव के अन्य बहुत से लोगों ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्तगण मौके से चले गये। अभियुक्तगण के मारने से रामबोध, कैलाशा को गम्भीर चोटें आयी थी। घटना वाले दिन ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरीगंज में चोटहिल रामबोध, बाबूलाल, कैलाशा, रामलाल, लीलावती व शिवराम का चिकित्सीय परीक्षण शाम 06.00 बजे के लगभग किया गया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली मे दाखिल है। मजरूब शिवराम, रामबोध, बाबूलाल व श्रीमती कैलाशा की चोटें एक्सरे हेतु संदर्भित की गयी थी। एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली मे दाखिल है जिसे उनका एक्सरे करने वाले चिकित्सक पी०डब्लू०-7 डा० सुबोध के द्वारा साबित किया गया है। चोटहिल साक्षीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपने शरीर पर आयी चोटों का विवरण प्रस्तुत किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित शेष अन्य साक्षीगण ने अभियोजन प्रपत्रों को विधिवत साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतयाः सफल रहा है। अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

21. **<u>बचावपक्ष का तर्कः-</u>** प्रतिउत्तर में बचावपक्ष की ओर से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि कथित भूमि जिसे वादी पक्ष के रामबोध व बाबूलाल की बता रहा है, वह जमीन स्वयं अभियुक्तगण की थी। वादग्रस्त जमीन अभियुक्त उमाशंकर के बंधक रखकर लोन लिया गया था। लोन चुकता न करने के कारण उक्त जमीन नीलाम की गयी थी जिसे चोटहिल रामबोध व बाबूलाल की भाभी ने खरीदा था। लेकिन मा० उच्च न्यायालय ने नीलामी की कार्यवाही को अपने आदेश दिनांकित 29.08.1997 के द्वारा स्थगित कर दिया था जिसके बावजूद भी चोटहिल रामबोध व बाबूलाल जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से ट्रैक्टर से जुतवाने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्त उमाशंकर के द्वारा मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को बताते हुए रामबोध व बाबूलाल को ट्रैक्टर से जुताई करवाने से मना किया तो वादी पक्ष के लोग नहीं माने और जबरन खेत जोतने का प्रयास करने लगे। अभियुक्त उमाशंकर द्वारा अपने संपत्ति की रक्षा में आवश्यक बल का प्रयोग करके वादी पक्ष के लोगों को खेत कब्जा करने से रोकने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास में वादी पक्ष के लोगों को चोटें आयी थी। अभियोजन साक्ष्य से ही यह साबित होता है कि अभियुक्त

उमाशंकर व भोला के अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर शुक्ला मौके पर उपस्थित नही थे लेकिन रंजिशन तीरथ व मार्केण्डेश्वर को भी अभियुक्त बना दिया गया। वादी मुकदमा उदयराज कथित घटना के चश्मदीद साक्षी नही है। घटना के समय अभियुक्त उमाशंकर व भोला विवादित भूमि के कब्जा दखील थे। साक्षी पी०डब्लू०-3 तुलसीराम व पी०डब्लू०-4 देवनरायन के अतिरिक्त तथ्य के शेष साक्षीगण पी०डब्लू०-1 बाबूलाल, पी०डब्लू०-5 लीलावती व पी०डब्लू०-6 उदयराज हितबद्ध साक्षी हैं। पत्रावली मे दाखिल मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन की ओर से साबित नहीं करायी गयी है। अभियुक्त उमाशंकर द्वारा अपने कब्जाधीन वादग्रस्त खेत की सुरक्षा के लिए प्रतिवाद के दौरान ही वादी पक्ष के लोगों को चोटें आयी थी। अभियुक्त उमाशंकर को अपनी संपत्ति की रक्षा का विधिक अधिकार उपलब्ध है। अभियुक्त उमाशंकर की मृत्यु हो चुकी है और उनके विरुद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। शेष अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप तथा मार्कण्डेश्वर की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति साबित नहीं है। इस प्रकार अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप तथा मार्कण्डेश्वर के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे साबित नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

<u>निष्कर्ष</u>

अभियोजन का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्ति-युक्त संदेह से साबित करे-

22. विधि व्यवस्था **<u>श्रीमती शमीम बनाम दिल्ली राज्य जे0 टी0 2018(9) 23 ए0 सी0</u>** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "प्रत्येक आपराधिक विचारण सत्य की खोज का प्रयास (Quest) है। आपराधिक विचारण करने वाले न्यायाधीश को केवल यह देखना उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी निर्देश को सजा न होने पाये बल्कि यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति छूटने न पाये। दोनो समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनो लोक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन प्रत्येक न्यायाधीश को करने है।"

23. प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष की ओर से किये गये तर्क मे मुख्य रूप से इस बिन्दु पर बल दिया गया है कि कथित घटना अभियुक्त उमाशंकर व उनके लड़के भोला के द्वारा वादी पक्ष के रामबोध व बाबूलाल द्वारा अपने खेत को अवैध कब्जे से बचाने के लिए आवश्यक बल प्रयोग के दौरान घटित हुई थी। घटनास्थल पर शेष दो

अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर उपस्थित नहीं थे और न ही घटना में किसी प्रकार से सम्मिलित इस तथ्य को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षीगण ने अपने बयान मे स्वीकार किया है। बचाव पक्ष का आगे यह भी कहना है कि घटना मे सम्मिलित मुख्य अभियुक्त उमाशंकर की मृत्यु हो चुकी है और उनके विरुद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। जबकि दूसरे अभियुक्त भोला कथित घटना के समय अवयस्क थे, उनकी पत्रावली पृथक करके आगे की कार्यवाही के लिए किशोर न्यायालय स्थानान्तरित की जा चुकी है। अतः दोनो अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप तथा मार्कण्डेश्वर को कथित घटना मे भूमिका एवं संलिप्तता न होने के आधार पर दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी जबकि अभियोजन पक्ष का कथन है कि कथित घटना कारित करने में दोनो अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप तथा मार्कण्डेश्वर की भी मुख्य अभियुक्तगण उमाशंकर व भोला के सक्रिय भूमिका थी।

24. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि (a) क्या अभियुक्तगण उमाशंकर व भोला के द्वारा कथित घटना अपने संपत्ति की प्रतिरक्षा के दौरान किये गये आवश्यक बल प्रयोग के दौरान घटित हुई तथा दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि (b) कथित घटना कारित करने में अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर की भूमिका क्या और कितनी थी।

25. जहां तक पहले विचारणीय प्रश्न (a) का निष्कर्ष है उक्त के सम्बन्ध में:

(i) वादी उदयराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसके मामा बाबूलाल व रामबोध जब अपने ट्रैक्टर से अपना खेत जुतवा रहे थे तो उनके गांव के उमाशंकर, भोला, तीरथ उर्फ प्रदीप, मार्कण्डेश्वर ने जाकर खेत जोतने से मना कर दिया। तब उनके मामा ने अभियुक्तगण की बात नहीं मानी तो चारो व्यक्तियों ने अपने हाथ मे लिए लाठी डण्डे से गाली गुप्ता देते हुए उनके मामा बाबूलाल व रामबोध को मारने लगे तथा बचाने आये रामलाल, कैलाश, लीलावती व शिवराम को भी लाठियों से मारपीटकर चोटें पहुंचाई।

(ii) वादी उदयराज बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-6 न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा अपने बयान में यह कहा कि घटना दिनांक-08.12.1998 की शाम 04.00 बजे की है। जब उन्हे अपने मामा बाबूलाल व रामबोध के बारे मे जानकारी हुई कि उन्हे मारपीट मे चोट लगी है, तो वह उनके

पास जा रहा था, तब उसने रास्ते मे देखा कि उन्हे लोग थाने मे ले जा रहे थे। साक्षी पी०डब्लू०-6 के उपरोक्त बयान से यह प्रकट होता है कि साक्षी पी०डब्लू०-6 घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है और न ही वह घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित था। बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में वादी पी०डब्लू०-6 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना उसने स्वयं अपनी आंखो से नहीं देखा था।

(iii) घटना के चोटहिल साक्षी बाबूलाल बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। साक्षी ने अपने मुख्य बयान मे यह कहा है कि घटना के तीन-चार पहले विवादित खेत नीलामी में उसकी भाभी शिवकुमारी को मिला था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि नीलामी के पूर्व उक्त खेत मुल्जिमान उमाशंकर का था। साक्षी ने आगे कहा कि जब वह खेत जुतवा रहा था तब मुल्जिमान आये और उसे खेत जुतवाने से मना किये। जब उसने कहा कि यह खेत मेरा है, जोतुंगा और बोउंगा तो अभियुक्त मार्कण्डेश्वर ने उसे जातिसूचक व मा-बहन की गाली देते हुए कहा कि दो साल से रोक रहा हूं, कैसे जोतते बोते हो, उसके बाद सभी लोग लाठी से उसे व रामबोध को मारना शुरु कर दिए। जब दोनो लोगों को बचाने रामलाल, माता कैलाशा, पत्नी लीलावती, भांजा उदयराज आ गये तो मुल्जिमान ने उसके घरवालों को भी लाठी-डण्डे से मारा। उसे तथा रामबोध, रामलाल, उसकी माता व पत्नी को चोटें आयी थी।

(iv) बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में प्रश्न करने पर साक्षी ने बताया कि वह खेत उसकी भाभी के नाम था जिसपर मारपीट हुई थी। घटना के पहले भी वह खेत जोतता था। पहले उस खेत में अरहर व चरी बोया था। जब-जब वह पहली तीन-चार बार खेत जोता था तब भी मुल्जिमानो ने उसे खेत जोतने से नहीं रोका था। खेत उसकी भाभी ने घटना के 3-4 वर्ष पहले तहसील से नीलामी मे लिया था। खेत उमाशंकर का था। नीलामी कन्फर्म हुई थी। कागजात के बारे में उसे नीलामी होने के 5-6 महीने बाद जानकारी हुई थी। आगे बचाव पक्ष के द्वारा पर पूछने पर साक्षी ने बताया कि अभियुक्त उमाशंकर इस विवादित खेत की नीलामी के सम्बन्ध में हाईकोर्ट से स्टे लाए थे, उसे इसकी जानकारी है और स्टे की जानकारी उसे पहले भी थी। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में दो बार स्टे हुआ थी। पहला स्टे राजस्व परिषद से

झगड़ा के पहले से हुआ था। दूसरे स्टे की जानकारी जब झगड़ा हुई, तब हुई। स्टे दिनांक-29.07.1997 को हुआ था। साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया कि घटना दिनांक-08.12.1998 को हुई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर आगे कहा कि उसकी भाभी शिवकुमारी के पति रामराज हैं, जो पटना मे दरोगा थे और भाभी शिवकुमारी उनके साथ ही रहती थी। घटना वाले दिन भी उनकी भाभी शिवकुमार पटना मे ही थी। उनकी भाभी ने ही खेत जोतने के लिये घटना के एक महीना पहले कहा था तब वह खेत जोतने गये थे। साक्षी पी०डब्लू०-1 शेष जिरह के लिए दिनांक-13.09.2018 को पुनः उपस्थित आये तो उन्होने न्यायालय में दिये अपने पूर्व के बयान के विपरीत बात करते हुए यह कहा कि उन्होने न्यायालय मे गलत बयान दिया है कि "विवादित खेत जिसके बारे मे झगड़ा होना कहा जाता है, उसमे हाईकोर्ट से स्टे लाया गया था, उसकी जानकारी मुझे है और पहले भी थे, इस सम्बन्ध मे दो बार स्टे हुआ था"

(v) घटना के दूसरे महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्लू०-2 रामबोध का बयान दिनांक-13.12.2024 को अंकित किया गया था। साक्षी ने अपने बयान में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह और उसके भाई बाबूलाल नीलामी लिया हुआ खेत जो पहले अभियुक्त उमाशंकर का था ट्रैक्टर से जुतवा रहा था, इस खेत को वे लोग 2 साल से जोत-बो रहे थे। इसी खेत को नीलामी मे उसकी भाभी शिवकुमारी ने घटना के 3-4 साल पहले से लिया था। घटना के समय उसकी भाभी शिवकुमार व भाई रामराज नौकरी के सिलसिले मे पटना मे रहते थे। सभी मुल्जिमानों ने मौके पर आकर उन्हे व उनके भाई बाबूलाल को खेत जोतने से मना किया था, नही मानने पर चारो लोगों ने लाठी-डण्डे से मारना शुरू कर दिया। वह मौके पर बेहोश हो गया था। उस घटना मे बाबूलाल, उसके पिता रामलाल, मा कैलाशा, भाभी लीलावती तथा साले शिवराम को भी चोटें आयी थी। उसका डाक्टरी मुआयना गौरीगंज मे हुआ था तथा एक्सरे सुलतानपुर मे हुआ था। और आगे का इलाज मेडिकल कालेज लखनऊ मे हुआ था।

(vi) बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा मे प्रश्न करने पर साक्षी ने बताया कि घटना के पहले खेत मुल्जिमान उमाशंकर का था। उसकी भाभी ने सन् 1995/96 में सरकार से खेत नीलामी मे लिया था जबकि घटना दिसम्बर, 1998 की है। नीलामी के बाद से नवम्बर, 1998 तक इस खेत का उपयोग उसकी भाभी शिवकुमारी ने किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मुल्जिमान

उन लोगों को खेत जोतने से मना करने आये थे, न मानने पर झगड़ा हुआ। साक्षी ने इस तथ्य से इन्कार किया कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा खेत की नीलामी का स्टे लगा दिया गया था। जबकि साक्षी पी०डब्लू०-1 बाबूलाल ने अपने बयान मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि कथित घटना के पूर्व मा० उच्च न्यायालय द्वारा विवादित खेत की नीलामी का स्टे मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू०-1 बाबूलाल ने यह भी स्वीकार किया कि राजस्व न्यायालय द्वारा भी उक्त भूमि की नीलामी को स्टे कर दिया गया था। साक्षी पी०डब्लू०-2 ने आगे यह भी स्वीकार किया कि विवादित खेत अभियुक्त उमाशंकर का था तथा साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि शेष दो अभिुक्तगण मार्कण्डेश्वर व तीरथ उर्फ प्रदीप का उस खेत से कोई वास्ता व सरोकार नहीं था। साक्षी द्वारा आगे यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण मार्कण्डेश्वर व प्रदीप से उनका कोई मुकदमा नहीं चला था। मार्कण्डेश्वर व प्रदीप ने उन्हे इस खेत को इस्तेमाल करने से नहीं रोका था क्योंकि उनका यह खेत नहीं था। इस खेत का जो भी झगड़ा था वह केवल उमाशंकर के परिवार से ही था।

(vii) साक्षी पी०डब्लू०-3 तुलसीराम और साक्षी पी०डब्लू०-4 देवनरायन जिसे अभियोजन की ओर से चश्मदीद साक्षीगण के रूप मे परीक्षित कराया गया है और वादी मुकदमा ने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में दोनो साक्षीगण द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित रहने और बीच-बचाव करने का उल्लेख किया है, ने अपने बयान में कहा कि कथित घटना वाले दिन खेत जोतते वक्त उमाशंकर सिंह व तीन-चार अज्ञात लोग तथा बाबूलाल व उनके परिवार से झगड़ा हो रहा था। दोनो साक्षीगण पी०डब्लू०-3 व पी०डब्लू०-4 ने कहा है कि मार्कण्डेश्वर व प्रदीप को उनलोगों ने मारते पीटते नहीं देखा था।

(viii) साक्षी पी०डब्लू०-5 लीलावती जो घटना की चोटहिल साक्षी हैं, ने अपने मुख्य बयान में कहा है कि वह अपने पति व देवर के शोर पर मौके पर पहुंची तो उसने मौके पर घटना होते देखा और बचाना चाहा तो सभी अभियुक्तगण उसे व उसकी सास रामलाल, ससुर कैलाशा व भाई शिवराम को भी लाठियों से मारकर गम्भीर चोटें पहुंचाई थी। देवनरायन व तुलसीराम के बीच बचाव तथा गांव के तमाम लोग इकट्ठा होने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा में प्रश्न पूछने पर कहा कि

मुल्जिमानो ने घटना के पहले खेत जोतने से मना नहीं किया था क्योंकि इसके पहले खेत कभी जोता नही गया था जबकि साक्षी पी०डब्लू०-1 बाबूलाल व पी०डब्लू०-2 रामबोध ने साक्षी पी०डब्लू०-3 की बातों से भिन्न बातें कहते हुए कहा है कि उनके द्वारा विगत दो वर्षों से खेत जोता व बोया जा रहा था। साक्षी पी०डब्लू०-3 ने स्वीकार किया कि अभियुक्त उमाशंकर ने खेत जोतने से मना किया। जब बाबूलाल व उसके देवर रामबोध नही माने तब झगड़ा हुआ। साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि यह खेत बाबूलाल व रामबोध के नाम नहीं था। साक्षी ने आगे कहा कि प्रदीप व मार्कण्डेश्वर उमाशंकर के परिवार के नहीं है।

(ix) साक्षी पी०डब्लू०-6 उदयराज इस मामले के वादी मुकदमा है और अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी हैं, लेकिन उदयराज ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि घटना को उसने अपनी आंखो से नहीं देखा था। घटना के बारे मे सुनकर मौके पर जाने मे लगभग एक घन्टा लगा होगा और वह रास्ते में ही चोटहिलों से मिला था। चोटहिल चारपायी पर थे। वह सीधे थाने पर गये। थाने पर दरोगा जी ने एक वकील साहब से तहरीर लिखवायी थी। और उस पर हस्ताक्षर बनाने के लिए कहा तो उसने अपना हस्ताक्षर बनाया। थाने पर गाँव के 1-2 व्यक्ति मौजूद थे बाकी चोटहिल थे। इस प्रकार साक्षी के बयान से पूर्व में ही यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि साक्षी पी०डब्लू०-6 उदयराज घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है।

(x) साक्षी पी०डब्लू०-7 डा० सुबोध कुमार द्वारा दिनांक-09.12.1998 जिला चिकित्सालय सुलतानपुर में चोटहिल शिवराम के सिर का एक्सरे किया गया था, जिसमें शिवराम के बायें पेराइटल एवं आक्सीपिटल की हड्डी टूटी पायी गयी थी। उसी दिन चोटहिल रामबोध के सिर का एक्सरे किया गया था, जिसमें उसके बायीं तरफ की पैराइटल हड्डी टूटी पायी गयी। उसी दिन चोटहिल बाबूराम के दाहिने हाथ के पंजे का एक्सरे कराया गया था, जिसमें उसकी चौथी व पांचवी मेटाकार्पल हड्डी टूटी पायी गयी थी और उसी दिन चोटहिल कैलाशा के सिर का एक्सरे कराया था जिसमें उसकी कोई हड्डी टूटी नहीं पायी गयी। चोटहिल रामलाल के बायें अग्रबाहु का भी एक्सरे किया गया था जिसमें रेडियस हड्डी टूटी पायी गयी। पत्रावली मे दाखिल एक्सरे रिपोर्ट को प्रदर्श क-2 लगायत प्रदर्श क-6 साबित किया गया है तथा एक्सरे प्लेट को वस्तु प्रदर्श-1 लगायत 5 साबित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से चोटहिलों की हड्डी टूटने की अवधि के बारे

में प्रश्न करने पर साक्षी ने बताया कि हड्डी के टूटने के बाद अगर कैलस नहीं बना तो एक्सरे करने के 14 दिन के अन्दर कभी भी टूट सकती है।

(xi) विवेचक बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-8 न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। बचाव पक्ष की ओर से प्रश्न करने पर साक्षी ने बताया कि जिस खेत के सम्बन्ध में झगड़ा होना बताया गया है उसका गाटा संख्या दौरान विवेचना उन्होने ज्ञात नहीं किया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त जमीन की मालिकाना हक के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दौरान विवेचना एकत्रित नहीं किया गया।

(xii) बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क के समर्थन में योजित रिट याचिका सं०-2235/1997 जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति की नकल कागज सं०-116 ख 1 ता 7 तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम मे बैंक लोन की देय धनराशि मु० 79,000/- रू की रसीद कागज सं०-116 ख/8 दाखिल किया है। जिसके आधार पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा नीलामी की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था।

(xiii) जहां तक शरीर और सम्पत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का आधिकार है इस सम्बन्ध में भा०दं०सं० की धारा-96 से धारा-106 तक शरीर एवं संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के प्रावधान दिये गये हैं। संपत्ति के सम्बन्ध में यह अधिकार केवल तब तक बना रहता है जबतक अतिचारी (Trespasser) संपत्ति पर अविधिपूर्ण तरीके से प्रवेश करने या नुकसान पहुचाने का प्रयास कर रहा होता है। यदि अतिचारी संपत्ति पर पहले से ही कब्जा जमा चुका है, तो उसे बलपूर्वक नहीं हटाया जा सकता लेकिन यदि अतिचारी का कब्जा संदेहास्पद, नया या स्पष्ट नहीं है तो धारा-97 भा०दं०सं० के अन्तर्गत संपत्ति के वास्तविक स्वामी को अतिचारी के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। यह अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति को किसी आपराधिक अतिचार या नुकसान का उचित या वास्तविक खतरा उत्पन्न होता है।

(xiv) मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए कि अतिचारी का कब्जा कब पूर्ण और स्थापित माना जाएगा। **Pooran Singh v. State of Punjab 1975 4 (SCC) 518** मे यह निर्धारित किया गया कि "Where the

court had held that one of the test is to find out who had grown the crop on the land in dispute.

Thus, the Court opines that the nature of possession in such cases which may entitle a trespasser to exercise the Right of Private Defence of Property and Person should contain the following attributes:

a. that the trespasser must be in actual physical possession of property over a sufficiently long period.

b. that the possession must be to the knowledge either express or implied of the owner or without any attempt at concealment and which contains an element of animus possidendi.

c. the process of dispossession of the true owner by the trespasser must be complete and final and must be complete and final and must be acquiesced in by the true owner; and

d. in the case of culturable land, whether or not the trespasser after having taken possession, had grown any crop. If the crop had been grown by the trespasser, then even the true owner had no right to destroy the crop grown by the trespasser and take forcible possession, in which case the trespasser will have a right of private defence and the true owner will have no right of private defence.

(xv) <u>व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार एवं स्थापित कब्जे मे अभिचारी का अधिकार (Right of Private Defence & Right of Trespasser in settle position)</u>-

एक वास्तविक स्वामी के पास अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले अतिचारी को बाहर निकालने का अधिकार होता है यदि अतिचारी अनाधिकारपूर्वक प्रवेश के प्रयास मे हो और प्रयास का कार्य पूर्ण न हुआ हो। लेकिन यह अधिकार संपत्ति के स्वामी को तब नहीं होगा यदि अतिचारी स्वामी की जानकारी के अन्तर्गत ही अपने अधिकार जमाने की कोशिश को पूर्ण कर लिया हो। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी को केवल कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही अतिचारी को हटाने का अधिकार होगा। इसी प्रकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Ram Rattan v. State of U.P. , 1977 CrLJ 433 : AIR 1977 SC 619: (1977) 1 SCC 188** में यह अवधारित किया गया है कि "*A true owner has every right to dispossess or throw away a trespasser, while the trespasser is in the act or process of trespassing, and has not accomplished his act of possession. But this right is not available to the true owner if the trespasser has been successful in accomplishing his possession to the knowledge of the true owner. True owner then can dispossess the trespasser by taking recourse to law. It is not possible to lay down a rule of universal application as to when the possession of a trespasser becomes complete and accomplished. But one test is to find out who has grown the crop.*" इसी प्रकार एक अन्य मामले **Amir Ali v. State of Assam, 1988 CrLJ 1512 (Gau): (1987)3 Crimes 342** में यह अवधारित किया गया है कि "*Where prosecution claims possession of the disputed land with the allegations that the accused party attacked and assaulted the prosecution party while the latter was ploughing that land under possession and if by evidence such claim of the possession is not established, then the truth of the prosecution case with regard to allegations of attack and assault by the accused as aggressors greatly diminishes and consequently the defence plea as to possession and assault on them by the prosecution party, has to be taken as probable. In such circumstances, if*

the evidence on record makes out a case of mutual marpit with injuries on both sides, then defence submissions as to the existence of occasion for exercising right of private defence of property and person also becomes probable."

(xvi) प्रस्तुत मामले मे साक्षी पी०डब्लू०-1 बाबूलाल व पी०डब्लू०-2 रामबोध ने अपने साक्ष्य मे स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत विवादित खेत अभियुक्त उमाशंकर का था जिसे उसकी भाभी ने नीलामी में क्रय किया था लेकिन साक्षी पी०डब्लू०-1 ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त उमाशंकर उसी विवादित खेत के सम्बन्ध मे हाईकोर्ट से स्टे लाये थे, उसे स्टे की जानकारी थी। उसे इस बात की भी जानकारी थी, कि इस नीलामी के सम्बन्ध मे दो बार स्टे हुआ था। पहला स्टे राजस्व परिषद से हुआ था तथा दूसरा स्टे हाईकोर्ट से हुआ था। जहां तक विवादित भूमि पर "स्थापित कब्जे (settle possession)" का प्रश्न है इस सम्बन्ध मे साक्षी पी०डब्लू०-1 बाबूलाल ने दो साल से खेत को बोने और जोतने की बात कही है। साक्षी पी०डब्लू०-2 रामबोध ने नीलामी में सन् 1995-96 में विवादित खेत लेने तथा नीलामी के बाद से कथित घटना तक खेत का उपयोग करने की बात कही है। जबकि घटना के चश्मदीद महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्लू-5 लीलावती ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मुल्जिमानो ने खेत जोतने से घटना के पहले मना नहीं किया था क्योंकि इसके पहले खेत कभी जोता नहीं गया था। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा कथित विवादित जमीन के मालिकाना हक के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज एकत्र न किये जाने की बात कही है। इस प्रकार साक्ष्य के सम्यक विश्लेषण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने मे विफल रहा है कि कथित घटना के समय प्रश्नगत विवादित खेत पर वादी पक्ष के बाबूलाल व रामबोध का वास्तविक कब्जा था। इसके अतिरिक्त घटना के मुख्य अभियुक्त उमाशंकर की मृत्यु दौरान विचारण हो गयी जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। घटना के दूसरे अभियुक्त भोला कथित घटना के समय अवयस्क होने के आधार पर उसकी पत्रावली शेष अभियुक्तगण से पृथक किशोर न्यायालय अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गयी।

(xvii) प्रस्तुत मामलें में अभियोजन पक्ष के कुल पाँच लोगों को चोटें आना कहा गया है जिसका चिकित्सीय परीक्षण घटना वाले दिन ही शाम 06.00 बजे सी०एच०सी० गौरीगंज में किया गया था जो पत्रावली में संलग्न है। परन्तु अभियोजन की ओर से चिकित्सीय प्रपत्र को तैयार करने वाले चिकित्सय को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही उनके स्थान पर मेडिकल प्रपत्र को साबित करने के लिए किसी द्वितीयक साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

26. जहां तक दूसरे प्रश्न (b) (कथित घटना कारित करने में अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर की भूमिका क्या और कितनी थी) का सम्बन्ध हैः-

(i) इस बारे में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि कथित घटना कारित करने की अभियुक्तगण उमाशंकर व भोला के अतिरिक्त अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर के नामो का भी उल्लेख है लेकिन वादी मुकदमा ने न्यायालय के समक्ष दिये बयान में यह स्वीकार किया है कि कथित घटना कारित होते समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था बल्कि घटना की जानकारी होने पर जब वह घटनास्थल पर आ रहा था, तब रास्ते में उसे चोटहिल मिले और उनके बताने के आधार पर उसने प्राथमिक सूचना थाने में दर्ज करायी। साक्षी पी०डब्लू०-1 बाबूलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में पेज सं-2 पर केवल इतना कहा है कि अभियुक्त मार्कण्डेश्वर ने उसे जातिसूचक गाली और मा बहन की गाली देते हुए कहा कि दो साल से रोक रहा हूं कैसे जोतते बोते हो। उसके बाद सभी मुल्जिमान उसे और उसके भाई रामबोध को लाठी से मारना शुरू कर दिए। साक्षी ने अपने सम्पूर्ण बयान में कथित घटना कारित करने में अभियुक्त प्रदीप उर्फ तीरथ की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया है। साक्षी पेज सं०-11 पर बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर कहा कि वह मुकदमे में एफ०आई०आर० की तहरीर न पढ़े है और न पढ़ सकते हैं, इसलिए उसके बारे मे कोई जानकारी नही है। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि उस तहरीर मे किन किन मुल्जिमानो का नाम लिखा है, क्या क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि किन किन मुल्जिमानों ने घटना कारित किया।

(ii) साक्षी पी०डब्लू०-2 ने अपने मुख्य बयान के पेज सं०-2 पर कहा कि जब वह ट्रैक्टर से खेत जुतवा रहे थे तो मुल्जिमान उमाशंकर, उनके लडके भोला, प्रदीप व मार्कण्डेश्वर भी खेत जोतने से मना किये। साक्षी ने आगे कहा कि मार्कण्डेश्वर ने ललकार बोला कि चमार साले तुम्हे दो साल से रोक रहा हूं, कैसे जोतते बोते हो। तो चारो लोगों ने लाठी-डण्डे से मारा पीटा। चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर गया। बचाव पक्ष की ओर से प्रश्न पूछने पर साक्षी ने कहा कि मार्कण्डेश्वर व प्रदीप अभियुक्त उमाशंकर के परिवार के नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मार्कण्डेश्वर व प्रदीप का उस खेत से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही मार्कण्डेश्वर व प्रदीप से पहले का कोई मुकदमा नहीं चला था। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि मार्कण्डेश्वर व प्रदीप ने उन्हे इस खेत का इस्तेमाल करने से नहीं रोका क्योंकि यह खेत उनका नहीं था। खेत का जो भी झगड़ा था वह केवल उमाशंकर के परिवार से था।

(iii) साक्षी पी०डब्लू०-3 तुलसीराम व पी०डब्लू०-4 देवनरायन जिसे तहरीर में व साक्षीगण पी०डब्लू०-1 बाबूलाल व पी०डब्लू०-2 मार्कण्डेश्वर के बयान मे मौके पर आकर बीच-बचाव करने तथा सम्पूर्ण घटना अपनी आंखो से देखे जाने के आधार पर अभियोजन की ओर से चश्मदीद साक्षी के रूप मे परीक्षित कराया गया है, ने अपने बयान में यह कहा है कि खेत जोतते वक्त झगड़े में उमाशंकर व तीन-चार अज्ञात लोग बाबूलाल व उनके परिवार से झगड़ रहे थे, उन्होने मौके पर मार्कण्डेश्वर व प्रदीप को मारते पीटते नही देखा। घटना के समय अभियुक्तगण प्रदीप व मार्कण्डेश्वर खेत के पास मौजूद नहीं थे।

(iv) घटना के तीसरे महत्वपूर्ण चोटहिल साक्षी लीलावती ने अपने मुख्य बयान में कथित घटना खेत जोतते समय उमाशंकर, उनके लड़के भोला, प्रदीप व मार्कण्डेश्वर के द्वारा कारित की गयी थी। चारो अभियुक्तों द्वारा खेत जोतने से मना किया गया था, नही मानने पर चारो अभियुक्तगण द्वारा उसके पति बाबूलाल व उसके देवर रामबोध को लाठी से मारने लगे और शोर सुनकर वह अपने सास कैलाशा, ससुर रामलाल, भाई शिवराम के साथ मौके पर पहुंची तो उन्हे भी लाठियों से मारकर गम्भीर चोटें पहुंचायी गयी। लेकिन प्रतिपरीक्षा मे साक्षी ने कहा कि केवल उमाशंकर ने खेत जोतने से मना किया था, जब बाबूलाल व रामबोध नही माने तब जाकर झगड़ा हुआ। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदीप व मार्कण्डेश्वर अभियुक्त उमाशंकर के परिवार के नहीं थे।

(v) विवेचक पी०डब्लू०-8 कैलाश सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर कहा कि मुल्जिमान एक घर के नहीं है, अलग-अलग घर के हैं। उमाशंकर व भोला पिता पुत्र हैं जो एक घर के हैं। मार्कण्डेश्वर अलग घर के हैं व प्रदीप कुमार अलग घर के हैं।

27. पत्रावली मे उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के विश्लेषण के अनुक्रम मे यह पाया जाता है कि वादी पक्ष के लोगों का वास्तविक विवाद अभियुक्त उमाशंकर व उनके लड़के भोला से था। अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक का समर्थन करने वाले तीनो साक्षीगण पी०डब्लू०-1 बाबूलाल, पी०डब्लू०-2 रामबोध व पी०डब्लू०-5 लीलावती ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि नीलामी से पूर्व विवादित खेत अभियुक्त उमाशंकर का था। अभियुक्त तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर का उक्त विवादित खेत से कोई वास्ता व सरोकार नही था। दोनो अभियुक्तगण तीरथ उर्फ प्रदीप व मार्कण्डेश्वर अभियुक्त उमाशंकर के घर के नहीं है बल्कि अभियुक्तगण मार्कण्डेश्वर व तीरथ उर्फ प्रदीप अलग-अलग घर के हैं। अभियोजन का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक अभियुक्त की घटना मे संलिप्तता और उसकी विशिष्ट भूमिका को ठोस साक्ष्यों के जरिए साबित करे। यदि अपराध मे कई लोग सम्मिलित हो तो अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह यह साबित करे कि आपराधिक कृत्य सामान्य आशय या पूर्व नियोजित योजना के अनुक्रम में कारित किया गया है। केवल अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति मात्र से कथित घटना कारित करने में उसकी संलिप्तता की उपधारणा नहीं की जा सकती, जबतक कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण की विशिष्ट भूमिका घटना कारित करने मे स्थापित न कर दी गयी हो अथवा जहां विशिष्ट भूमिका का निर्धारण करना सम्भव न हो वहां यह स्थापित न कर दिया हो कि घटना समान आशय या पूर्व नियोजित योजना के अनुक्रम मे कारित की गयी हो। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मार्कण्डेश्वर व तीरथ उर्फ प्रदीप की कथित घटना कारित करने मे न तो कोई विशिष्ट भूमिका स्थापित करने मे सफल रहा है और न ही यह स्थापित किया जा सकता कि अभियुक्तगण प्रदीप व मार्कण्डेश्वर के द्वारा कथित घटना सामान्य आशय के अग्रसारण या पूर्व नियोजित योजना के अनुक्रम में कारित की गयी थी। घटना के मुख्य अभियुक्त उमाशंकर की मृत्यु दौरान विचारण हो गयी जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। घटना के दूसरे अभियुक्त भोला कथित घटना के समय अवयस्क होने के आधार पर उसकी पत्रावली शेष अभियुक्तगण से पृथक किशोर न्यायालय अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी

गयी। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण मार्कण्डेश्वर व तीरथ उर्फ प्रदीप की घटना मे संलिप्तता संहेहास्पद प्रतीत होती है। इस प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-323/34,325/34,308/34,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

28. अभियुक्तगण मार्कण्डेश्वर व तीरथ उर्फ प्रदीप को मुकदमा अपराध संख्या-489/1998, अन्तर्गत धारा-323/34,325/34,308/34,506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतपत्र एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते है एवं प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

29. धारा-481 भा०ना०सु०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण की अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक अभियुक्त मु०-20,000/-रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करे, उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बन्धपत्र व उनके जामिनदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूपत्र इस निर्णय की तिथि से छह माह की अवधि तक वैध रहेंगे।

sd/-

दिनांक-06.06.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०एस०टी०एक्ट
सुलतानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक-06.06.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०एस०टी०एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
(Steno.)